

अ. डि. प्ररूप -15

अभिन्यास डिज़ाइन के रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता की प्रविष्टि के रद्दकरण के लिए आवेदन
(धारा 26(1) (ख) या (ग) नियम 58)

विवरण सहित

(आवेदन के आधारों का तीन प्रतियों में तीन प्रतियों में भरा जाए)

-----1के नाम में रजिस्ट्रीकृत अभिन्यास डिज़ाइन सं.-----के मामले में

-----2 के द्वारा अभिन्यास डिज़ाइन के रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रूप में ----- 3की ऊपर उल्लिखित रजिस्ट्रीकरण के अधीन प्रविष्टि के रद्दकरण के लिए आवेदन किया जाता है ।

आवेदन के आधार, जिनकी विशिष्टियाँ मामले के साथ दिए गए विवरण में विस्तृत ----- रूप में दी गई हैं, निम्न हैं 4----- ।

इन कार्यवहियों से संबंधित सभी पत्राचार भारत में निम्नलिखित पते पर भेजे जाएं ।

आज तारीख -----मास -----20

हस्ताक्षर -----

सेवा में ,

रजिस्ट्रार अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन

-----6पर अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन

रजिस्ट्री का कार्यालय

1. रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम भरें ।
2. रद्दकरण के लिए आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता भरें ।
3. रजिस्टर में यथा प्रविष्ट रजिस्ट्री उपयोगकर्ता का नाम, पता और वर्णन भरें ।
4. धारा 26(1) के उप खंड (ख) की एक या एक से अधिक बातों को भरें ।
5. केवल उस आवेदक द्वारा उल्लेख किया जाए जिसने भारत में कारबार के मुख्य स्थान या निवास के पते का उल्लेख किया है किन्तु इन कार्यवहियों के प्रयोजन के लिए उस पते से भिन्न पता को देना चाहता है।
6. अर्द्ध देखेचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान की नाम का उल्लेख किया है । नियम -4 देखे